प्रकरण संख्या 1/2017 गफूर मोहम्मद बनाम वजीर मोहम्मद

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.01.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2012 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 23.08.2013 को अंतिम डिक्री जारी की गयी। उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री को दोतरफा किये जाने हेतु हाल अपीलान्टगण की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के तहत आवेदन दिनांक 26.08.2016 को प्रस्तुत किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिनांक को मयाद बाहर होना मानकर खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 26.08.2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 03.02.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री एम. के. गांधी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 से 9 की ओर से वकील श्री मोहम्मद दवसीम रजा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17 औपचारिक पक्षकार की ओर पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की गयी। गुणावगुण पर बहस करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है तथा प्रार्थना पत्र किस तारीख को खारिज किया गया	

इसका कोई उल्लेख नहीं है। अपीलान्टगण के अधिवक्ता द्वारा नो इन्ट्रक्शन की कोई सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी गयी, जिससे उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो गयी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया है एवं आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र मयाद बाहर होना मानकर खारिज कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट को जवाब व सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री विधिवत जारी की गयी है तथा आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का आवेदन काफी विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे मयाद बाहर मानकर खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 23.08.2013 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के तहत आवेदन दिनांक 26.08.2016 को प्रस्तुत किया है अर्थात उक्त आवेदन करीब 3 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किया है एवं इसके लिए जो कारण उन्होंने अपने उक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन में बताये हैं वे न तो उचित प्रतीत होते हैं, न ही पर्याप्त कारण हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. मयाद बाहर होना मानकर जो खारिज किया है उसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.08.2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.27 14:16:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: